समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–19(1) अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु अंचल गोड्डा ग्राम– मोतिया, पटवा, गंगटा, नयावाद एवं अंचल पोड़ैयाहाट ग्राम– सोनडीहा, रेंगानियॉ, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट, माली अंतर्गत संशोधित रकवा– 1199.99 एकड के प्रभावित भू–स्वामियों जिनकी समहति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, की सूची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के परामर्श से तैयार किया गया है।

झारखंड़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–19(ii) अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल द्वारा तैयार प्रभावित भू–स्वामियों, भू–अधिवासियों एवं व्यक्तियों की सूची प्रभावित क्षेत्र के सहज दृश्य स्थानों पर दिनांक– 16.02.2017 को प्रकाशित किया जाता है।

झारखंड़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–19(2) अंतर्गत किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्त्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

किसी भी आक्षेप की दशा में आक्षेपकर्त्ता आम सूचना निर्गत होने की तिथि से दस दिनों के अंदर जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में आक्षेप जमा कर सकेंगे।

अपर समाहर्त्ता–सह–समाहर्त्ता
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)